

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 20/2024

दायर दिनांक: 27.02.2024

उन्वान

1. रामलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द पि. ग्यारशीराम जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
2. कन्हैयालाल उर्फ, कारु पि. रामलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति -

वकील वादीगण - श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

समीक्षा निर्णय

दिनांक : 01.07.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेमला प.ह. सेमला तह. सुनेल जिला झालावाड़ राज. में खाता संख्या नया 473 पुराना 93 के खसरा नं.662 रकबा 0.2023 है०, खसरा नं.674 रकबा 0.3541 है०, खसरा नं. 675 रकबा 0.1897 है०, खसरा नं. 676 रकबा 0.0253 है०, खसरा नं.677 रकबा 0.0379 है०, खसरा नं.678 रकबा 0.0632 है०, खसरा नं.679 रकबा 0.3035 है०, खसरा नं.681 रकबा 0.3920 है०, कुल किता 8 कुल रकबा 1.65680 है० आराजी स्थित है। यह कि ग्राम सेमला प.ह. सेमला तह. सुनेल जिला झालावाड़ राज. में खाता संख्या नया 192 पुराना 186 के खसरा नं.809 रकबा 0.0126 है०, खसरा नं.824 रकबा 0.0379 है०. कुल किता 2 कुल रकबा 0.0505 है० आराजी स्थित है। यह कि वाद के पेरा नं. 1 व 2 में दर्ज आराजी वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी पारिवारिक सेटलमेन्ट बंटवारा से सुविधा अनुरूप हिस्से खेती करके पांति से प्रतिवादी नं.1 व 2 को दिया। उक्त हिस्से का शामलाती हिस्से सहखातेदारी



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



दर्ज है। उक्त आराजी से प्रतिवादी नं. 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आराजी को वादी ने प्रतिवादी नं. 1 व 2 को फाति से बौने के लिए दिया था। प्रतिवादी नं. 1 व 2. ने जोर जबरदस्ती व ताकत के बल पर चाद के पेश नं. 1 व 2 में दर्जित आराजी को हांक जोत कर अपने खेत में मिला ली तथा जबरन कब्जा कर लिया। वादी ने प्रतिवादी को माना किया तो नहीं माना तथा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की एवं कोर्ट में दावा लगाने की बात कही। यह कि प्रतिवादी को वादी की आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी ने गैर कानूनी तरीके से वादीगण की आराजी पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी की हैसियत उक्त आराजी पर अतिक्रमी की है। वादीगण वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को वेदखल कर अपने हिस्से की भूमि 1६48 जो पारिवारिक सेटलमेन्ट से निर्धारित है का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह वाद कारण दिनांक 26.01.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी को हांक जोत कर फसल वो दी और कब्जा छोड़ने से मना कर दिया एवं फसल तैयार कर बांटा नहीं देने की बात कही यह वाद कारण रहा है। यह कि पेशा नं. 1 व 2 दर्ज वादग्रस्त आराजी संयुक्त शामलाती खातेदारी की आराजी है। सहखातेदारों से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना नहीं रहने से पक्षकार नहीं बनाये गये है। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल को लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होकर अन्दर मियाद प्रस्तु है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की वेदखल की डिक्री जारी की जावे—

(अ)— ग्राम सेमला प.ह. सेमला भूअ.नि.क्षेत्र सुनेल तह सुनेल जिला झालावाड़ राज में खाता संख्या नया 473 पुराना 93 के खसरा नं. 662 रकबा 0.2023 हे०, खसरा नं. 674 रकबा 0.3541 हे०, खसरा नं. 675 रकबा 0.1897 हे०, खसरा नं. 676 रकबा 0.0253 हे०, खसरा नं. 677 रकबा 0.0379 हे०, खसरा नं. 678 रकबा 0.0632 हे०. खसरा नं. 679 रकबा 0.3035 हे०, खसरा नं. 681 रकबा 0.3920 हे०, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.5680 हे० तथा ग्राम सेमला प.ह. सेमला भूअ.नि.क्षेत्र सुनेल तह. सुनेल जिला झालावाड़

✓
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



राज. में खाता संख्या नया 192 पुराना 186 के खसरा नं. 809 रकबा 0.0126 हे०, खसरा नं.824 रकबा 0.0379 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 0. 0505 हे० के 1/48 हिस्से मात्र जिसका वादी हिस्सेदार है से प्रतिवादी नं. 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं मौके पर प्रतिवादी नं. 3 को भेजकर वादी की आराजी चिन्हित कर पत्थरगद्दी कर अपने हिस्से अनुसार कब्जा वादी को संभला दिया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादी न. 1 व 2 से वादी को हर्जे खर्च की राशि बतौर कृषि आराजी से हुए लाभ के प्रतिफल स्वरूप 50,000/-रु. अक्षरे पचास हजार रूपया मय ब्याज वाद पेश करने की दिनांक से दिलाये जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 11.11.2024 प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 3 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सेमला का खाता सं. 473, 192 की जमाबंदी सं. 2073-76 की प्रमाणित प्रति, खसरा नक्शा दिनांक 07.02.2024 एवं खसरा गिरदावरी नकल प्रदर्श 1 से 6 पेश की। रामलाल का आधारकार्ड (616462354504) की छायाप्रति प्रस्तुत की। साक्ष्यवादी में रामलाल व बालचन्द के PW-1 To 2 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादी एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 किता 8 रकबा 1.5680 है. भूमि में वादी का हिस्सा 1/48 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सेमला की खाता सं. 192 किता 2 रकबा 0.0505 है. भूमि में वादी का हिस्सा 1/60 दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी को वादी द्वारा खेती करने के लिए पांति पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दी गई थी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कुछ समय तक वादी को पांति/मुनाफा काश्त की राशि




उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला अहमदाबाद (राज०)

समय पर दी जाती रही थी लेकिन बाद में न तो मुनाफा काश्त की राशि दी गई और न ही भूमि वापिस वादी को दी गई। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 से जब मुनाफा काश्त की राशि सहित भूमि वापिस लौटाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने लडाई झगडा कर जबरन अपने खेत में भिलाकर कब्जा कर लिया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरदस्ती बलपूर्वक वादी की भूमि पर कब्जा किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 3 को वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान कर वादी को कब्जा सौंपने के लिए निर्देशित किया जावे।

5. परोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादी का अनुतोष दिया जावे तो परोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. वकील वादी एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 किता 8 रकबा 1.5680 है। एवं खाता सं. 192 किता 2 रकबा 0.0505 है। भूमि की जमाबंदी सं. 2073-76 प्रदर्श-1 व प्रदर्श-4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा कमशः 1/48 व 1/60 निहित है। वादी वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है। वादी द्वारा पेश ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 192 की गिरदावरी सं. 2076 प्रदर्श 6 के अनुसार वादी रामलाल का हिस्सा 1/60 पडत है और इसी प्रकार खाता सं. 473 की खसरा गिरदावरी सं. 2076 प्रदर्श 2 के अनुसार वादी व अन्य सहखातेदारान द्वारा सोयाबीन व उडद की फसल काश्त किया जाना अंकित है। अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी में वादी रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और सं. 2076 में कब्जा काश्त था। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा




उपदण्ड अधिकारी
पिठौरा, जिला अलाहाबाद (राज०)

बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से पर अतिक्रमी होना जाहिर होता है।

7. वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह पीडब्ल्यू- 2 बालचन्द पि. ग्यारसीराम द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि वादी की ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी में 1/48 हिस्सा निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी पांति से बोनने के लिए दी थी जिस पर प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है और वादी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये और कहा कि यह आराजी आज से हमारी है, इस पर हम ही काशत करेगे। वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादी पीडब्ल्यू- 1 ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और सं. 2076 में कब्जा काशत था जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने पांति पर लेकर बाद में पांति की राशि देने से मना करने के साथ साथ बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी के हिस्से तक कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादी के अनुसार वाद का कारण हेतुक दिनांक 26.01.2024 को उत्पन्न हुआ है अर्थात् प्रतिवादी द्वारा जनवरी 2024 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है। वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 में वादी के हिस्से 1/48 का रकबा 0.0326 है। है जिसका वार्षिक लगान करीब 18 पैसे होगी। उक्त लगान का अतिक्रमी पर अधिकतम 15 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है जो करीब 2.70 रु होगा। अतः वादी को प्रतिफल के रूप में 50000/- मय ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा-

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला अलाहाबाद (राज.)



जाति, धाकस लवाम


183. Ejectment of certain trespasser— (1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 किता 8 रकबा 1.5680 है. हिस्सा 1/48 एवं खाता सं. 192 किता 2 रकबा 0.0505 है. हिस्सा 1/60 के संबंध में वादी का वाद धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 किता 8 रकबा 1.5680 है. एवं खाता सं. 192 किता 2 रकबा 0.0505 है. में निहित हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौंपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिझवा
जिला झालावाड राज०
पिझवा, जिला अलवर (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2024

दायर दिनांक: 27.02.2024

उन्वान

1. रामलाल पि. नारायण जाति धाकड नि. रोमला तहसील सुनेल

- वादी

वनाम

1. कैलाशचन्द्र पि. ग्यारसीराम जाति धाकड नि. रोमला तहसील सुनेल
2. कन्हैयालाल उर्फ कारु पि. रामलाल जाति धाकड नि. रोमला तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति -

वकील वादीगण - श्री प्रेमचन्द्र चौधरी

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरु.....X.....

मिनजानित मुदई रुबरुX.....

ग्राम रोमला की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम रोमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 473 किता 8 रकबा 1.5680 है. एवं खाता सं. 192 किता 2 रकबा 0.0505 है. में निहित हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

(दिनेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़, राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

निजX..... मुवालिफX..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूद बपारह
.....X..... आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)



जाति, धाकड रोमला
ग्राम रोमला तहसील सुनेल

Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Address	Signature	Date
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

